न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी रूबी अंसार R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 61/2024 निर्णय दिनांक

:–27.10.2025

उनवानी प्रार्थना पत्र

1. उर्मिला देवी पत्नि शिवराज जाति मीणा उम्र बालिग निवासी थांवला तहसील
देवली जिला टोंक राज0
2. मनभर देवी पत्नि जयराम जाति मीणा उम्र बालिग निवासी थांवला तहसील
देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थीयागण–

बनाम

1. तहसीलदार महोदय, देवली जिला टोंक राज0

–अप्रार्थी –

उपस्थिति :–

श्री राजेश जैन
अधिवक्ता प्रार्थी

तहसीलदार देवली
सरकार पैरोकार

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए.</u>

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 773 खसरा न0 271 रकबा 0.79 है0 वाके ग्राम थांवला पटवार हल्का थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0 मे स्थित है। राजस्व रिकार्ड मे आराजी खसरा नम्बर 315 गै0मु0 सड़क (ग्राम थांवला से भगवानपुरा जाने वाली) एवं खसरा नम्बर 289 रकबा 1.12 है0 एवं खसरा नम्बर 290 रकबा 0.70 है0 सिवायचक भूमि दर्ज है जो वाके ग्राम थांवला में स्थित है। उक्त आराजीयात वर्तमान मे राज्य सरकार के नाम है। प्रार्थीगण अपनी उक्त वर्णित खातेदारी की आराजी भूमि पर गै0मु0 सड़क खसरा नम्बर 315 से सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 289 एवं खसरा नम्बर 290 के मध्य स्थित मेर पर से होकर वर्षो से आती जाती रही है तथा वर्तमान मे भी उपयोग उपभोग करती आ रही है तथा अपने कृषि संबंधी यन्त्र भी इसी रास्ते से होकर लाती ले जाती है तथा वर्तमान मे उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खेत मे जाने का अन्य कोई वेकल्पिक रास्ता नही है। राजस्व रिकार्ड मे आने जाने का रास्ता नही होने के कारण प्रार्थीयागण को काफी परोशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा अपनी भूमि को काश्त नही कर पा रही हैं प्रार्थीयागण की भूमि पड़त रह जाती है जिससे प्रार्थीयागण को काफी आर्थिक नुकसान होता है। प्रार्थीयागण को अपनी उक्त वर्णित आराजीयात पर आने जाने के लिए गै0मु0 सड़क खसरा नम्बर 315 सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 289 एवं खसरा नम्बर 290 के मध्य स्थित मेर पर से होकर 15 फीट चौडा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीयागण नियमानुसार एवं आदेशानुसार राशि जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र अ0धारा 251 ए राज0 टीनेन्सी एक्ट मय शपथ पत्र

पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीयागण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 773 खसरा नम्बर 271 रकबा 0.79 है0 वाके ग्राम थांवला पटवार हल्का थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0 पर आने जाने के लिये गै0मु0 सड़क खसरा नम्बर 315 से सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 289 एवं खसरा नम्बर 290 के मध्य स्थित मेर पर से होकर 15 फीट चोडा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें। अप्रार्थी लेण्ड हॉल्डर होने प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी की आराजीयात माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

अप्रार्थी तहसीलदार की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार देवली द्वारा जबाब/रिपोर्ट पेश की गई जो इस प्रकार हैः–

प्रार्थीगण की अपनी आराजी पर पहुंचने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई लघुतम दूरी का रास्ता प्रस्तावित नही किया जा सकता। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तावित रास्ता गै0मु0 रास्ता के खसरा न0 315 रिकार्डेड रास्ते से जुड़ा हुआ है। प्रस्तावित रास्ते की लंबाई चौडाई निम्न प्रकार है–

क्र.स.	खसरा नम्बर	लंबाई (मीटर)	चौड़ाई (मीटर)	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)
1	290	144	4.58	659.52

प्रस्तावित रास्ता चाहे जाने वाली कृषि भूमि की वर्तमान डीएलसी दर 317298/– प्रति0 है0 है जिसकी एक गुणा कुल राशि 20942 व दुगुनी प्रतिकर राशि 41884 रूपये होगी। प्रस्तावित ख0न0 आबादी से 700 मीटर दूर व सिवायचक बिलानाम दर्ज है एवं प्रस्तावित भूमि असिंचित है। प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 315 गै0मु0 रास्ते से जुड़ा हुआ है। आवेदक की आराजी खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्रस्तावित रास्ते को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना जैसे पेड़ दीवार इत्यादि नहीं है। अप्रार्थी खसरा न0 290 बिलानाम काबिल काश्त सिवायचक दर्ज है जिसमें से माननीय न्यायालय द्वारा रास्ता दिया जाना है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है।

अतः जमाबंदी, नक्शा ट्रेस, और डीएलसी की प्रति संलग्न कर रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में नियमानुसार कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जावे तो कोई आपति नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

तहसीलदार देवली ने जवाब व रिपोर्ट को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार देवली की रिपोर्ट में प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 271 रकबा 0.79 है0 में पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायोचित प्रतीत होने से स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि कार्यालय क्रमांक :राजस्व/2025/966 दिनांक 27.05.2024 द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार खाता नम्बर 773 खसरा नम्बर 271 रकबा 0.7900 है0, कुल किता 1 कुल रकबा 0.79 है0 वाके तनग्राम थांवला पटवार हल्का थांवला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में कृषि कार्य हेतु पहुंच मार्ग ख. नं. 290 में से 4.58 मीटर चौड़ाई व 144 मीटर लम्बाई कुल 659.52 वर्ग मीटर अर्थात 0.066 है0 होगा जिसकी एक गुणा कुल राशि 20942 रूपये व दुगुनी 41884 रूपये प्रतिकर राशि जमा कर अथवा पुनः वर्तमान में प्रचलित डीएलसी की दुगनी दर से गणना कर राशि जमा राजकोष कर और रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर,नक्शा ट्रेस अनुसार मौके पर तरमीम करे। पालना रिपोर्ट 30 दिवस में पेश हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 27.10.2025 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली